फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर मुकाम अलवर

चन्द्रकला बनाम किशन लाल

किस्म मुकदमा प्रा0 212 पत्र किस्म मुकदमा नं0 2/216/ सन् 2022

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.02.2022	वकील वादी ने मूल वांद अन्तर्गत धारा 188 के साथ प्रा.पत्र 212 राज.काश्त.अधि.पेश किया। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस, बखूबी साबित होता है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी 30.03.2022 तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 576 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम भूगोर के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तलवी अप्रार्थीगण जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 30.03.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०) 30/3/22 को पेश हो।	

d/tyrt

Scanned with OKEN Scanner

12/7/22

अग्रिम प्रार्थी 39/ तत्प्रतिपक्षीगण की तरफ से
वकि. तलबाना पेश है/ कि. 18-8-22 को पेश हो/

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

18/8/22
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक.....17/10/22.....
को पेश हो।
रीडर

17/10/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक..26/12/22...
को पेश हो।
रीडर

26/12/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक...20/03/23...
को पेश हो।
रीडर

20-3-23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक..28-6-23.....
को पेश हो।
रीडर

28-6-23

वकिल प्रार्थी उप० इनिहाई की तलबना
हेतु अन्तिम अवसर दिलाकर
पत्रावली दि० 29-8-23 को पेश
हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

[नियम 26]

उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

..... बनाम .....

मा ....नं० .....सन् .....

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29-8-23 वकील वादी/तकुलय उप। बार का कार्य स्थगन होने के सबब पत्रावली वास्ते..... दिनांक.....12.10.23...को पेश हो। 17.10.23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक.....18.12.23 को पेश हो। वकील वादी उपस्थित नहीं है एवं तामील/पेश करने हेतु न्यायालय में अतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 02/1/24 को पेश करें। उपखण्ड अधिकारी अलवर 2-1-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। वास्ते...हेतु को...को अलवर दिनांक.....को पेश हो। 6-2-24 उपखण्ड अधिकारी अलवर 6/2/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक...2/5/24.... को पेश हो। रीडर 2-5-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक..... को पेश हो। 11-6-24	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

11.6.24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक 27-8-24
को पेश हो।

27.8.24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य
में व्यस्त है। दिनांक 5-11-24
को पेश हो।

17/1

5/11/24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी के प्रतिवादीगण की रविवार छुट्टी के हेतु बार-बार काफी अवसर दिये गये परन्तु 14 अवसर दिये जाने पर भी कोई 25 माह में भी रविवार तामील नहीं कराई गई है अतः वाद वादी 0.25 CPC के तहत इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली नस्तीकरण के बाद तामील पत्रावली दीवतल होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर